इकाई 11 Je% महिला श्रमिक

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 महिलाओं की भागीदारी का विस्तार एवं प्रकृति

- 11.2.1 महिलाओं की काम में भागीदारी
- 11.2.2 महिला श्रमिकों द्वारा किए गए काम की प्रकृति
- 11.2.3 महिला श्रमिकों की श्रेणियाँ
- 11.2.4 महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

11.3 रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिक

- 11.3.1 असंगठित क्षेत्र
- 11.3.2 संगठित क्षेत्र

11.4 महिला श्रमिकों के लिए श्रम कानून

- 11.4.1 समान वेतन अधिनियम
- 11.4.2 न्यूनतम वेतन अधिनियम
- 11.4.3 प्रसवकालीन सुविधा अधिनियम

11.5 महिलाओं की काम में भागीदारीः चुनौतियाँ तथा जवाबी कार्रवाइयाँ

- 11.5.1 लामबंद तथा संगठित करने के प्रयास
- 11.5.2 संस्थागत प्रयास तथा गरीबी-निरोधक कार्यक्रम

11.6 सारांश

11.7 शब्दावली

11.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

- महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के विस्तार एवं प्रकृति का विवरण कर सकेंगे;
- घर में तथा बाहर महिलाओं के श्रम के योगदान की अदृश्यता और निम्न मूल्यांकन के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे;
- अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के ज्यादा केंद्रीकरण के कारणों की जाँच कर सकेंगे;
- महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बने विभिन्न कानूनों की चर्चा कर सकेंगे;
- गाँव तथा शहर की गरीब महिलाओं को संगठित करने की जरूरत समझा सकेंगे; तथा
- गरीब महिलाओं के लिए प्रशिक्षण देने तथा आमदनी बढ़ाने के लिए बनाई नई नीतियों का विश्ले-ाण कर सकेंगे ।

11.1 प्रस्तावना

इस इकाई का उद्देश्य आपको महिला श्रमिकों के विभिन्न आयामों तथा भारतीय समाज में उनकी उत्पादक भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों से अवगत कराना है । इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की प्रकृति और सीमा, उस भागीदारी से सामाजिक-आर्थिक कारकों, उत्पादक साधनों तक उनकी पहुँच और प्रशिक्षण के जरिए परिवार के अंदर तथा बाहर उनकी कुशलता विकसित करने की चर्चा की गई है । इसमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर गरीबी से राहत दिलाने के लिए किए गए स्प-ट प्रयासों तथा ग्रामीण एवं शहरी महिला संगठनों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी नजर डाली गई है जो उन्होंने उनकी सौदेबाजी की क्षमता तथा साधनों तक पहुँच विकसित करने के लिए उठाए हैं ।

यह इकाई घर में तथा बाहर महिलाओं के वैतनिक व अवैतनिक श्रम संदर्भों के विश्ले-ाण से शुरू होकर महिला श्रम के इस्तेमाल के पैटर्न में परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार सामाजिक-सांस्कृतिक, विकास संबंधी तथा स्थान संबंधी (ग्रामीण-शहरी या कृ-ि जलवायु क्षेत्रों) कारकों की भी चर्चा की गई है । महिलाओं की प्रस्थिति और उनके काम से संबंधित ई.एस.ओ.-02 के खंड 7 की इकाइयों में हमने विस्तार से महिलाओं के श्रम भागीदारी के विभिन्न रूपों पर विचार किया है । इस इकाई में हम उन मुद्दों पर भारत की सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में विचार करेंगे । इसे पढ़ने से पहले आप उपर्युक्त इकाइयों पर नजर डालना चाहेंगे ।

11.2 महिलाओं की भागीदारी का विस्तार एवं प्रकृति

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में कई किस्म के कार्यों में शरीक होती हैं । भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर समिति (कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया) की रपट (1974) में कहा गया था कि "आबादी के किसी भी हिस्से की सामाजिक प्रस्थिति अंततोगत्वा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है जो भूमिका अधिकार और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अवसर पर निर्भर करता है" ।

रपट में आगे कहा गया था कि "हमारे समाज में लिंग के आधार पर असमानता को कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक असमानताओं से अलग करके देखना संभव नहीं है ।" हमारे पारंपरिक सामाजिक संरचना में जाति, समुदाय, वर्ग और लिंग पर आधारित असमानताएँ महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं व अवसरों पर असर डालती हैं । उनकी भागीदारी पर विकास के चरण और देहाती शहरी स्थानों का भी असर पड़ता है । ई.एस.ओ.-02 की इकाई 31 महिला और कार्य में आपने देखा किस तरह पारंपरिक भूमिका अपेक्षाएँ, लड़कियों और लड़कों के समाजीकरण में भेदभाव तथा लैंगिक श्रम विभाजन महिलाओं के श्रम शक्ति में भागीदारी को प्रभावित करता है । इस इकाई में हम महिलाओं की काम में भागीदारी की प्रकृति और विस्तार पर संक्षिप्त चर्चा से आरंभ करेंगे।

11.2 1 efgykvks की काम में भागीदारी

महिलाओं के काम की प्रकृति तथा विस्तार से संबंधित ठीक-ठीक तथ्य सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं । ऐसा इसलिए कि जनगणना में काम को जिस तरह परिभा-ित किया गया है उसमें परिवार को जिन्दा रखने के लिए महिलाओं द्वारा घर में किए गए कामों को शामिल

नहीं किया गया है । न ही इन तथ्यों का कोई तुलनात्मक अध्ययन संभव है क्योंकि हर जनगणना में श्रमिक की परिभा-ाा बदल जाती है और श्रमिकों के उम्र, लिंग, व शैक्षणिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण में भी कोई समानता नहीं है । कमाने वाले और उनके आश्रितों को भी हर जनगणना में अलग ढंग से वर्गीकृत किया गया है । 1971 की जनगणना में श्रम अवधि प्रकृति के पैमाने के आधार पर ही संबंधित व-र्ा में श्रमिकों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया गया है । फलस्वरूप उन्हीं को श्रमिक माना गया है जो अपना ज्यादातर समय आर्थिक गतिविधियों में लगाते रहे हैं । ऐसी स्थिति में तमाम अनियत सीमांत तथा अंशकालिक श्रमिकों को गैर श्रमिक कहा गया है और ऐसे श्रमिकों के महिला, बच्चे तथा बूढ़े श्रमिक होने की संभावना ही ज्यादा है । लिहाजा जनगणना रपट सही तस्वीर नहीं पेश करती (चट्टोपाध्याय, एम. 1982 : 44) । श्रम बयूरों ने महिला श्रमिकों की सांख्यिकीय तस्वीर नामक एक दस्तावेज निकाला है । मगर ऐसे ज्यादातर स्रोत महिला श्रम के योगदान को कम करके आँकते हैं क्योंकि, पारिवारिक जमीन पर खेती या गृह आधारित पारिवारिक पेशों में उनका काम अवैतनिक होता है और तथ्य संग्रह करने वालों के सामने वह अदृश्य होता है । ईंधन, पशुओं का चारा या पानी जुटाने, निर्वाह के लिए जंगलात के उत्पादन बटोरने तथा पारिवारिक देख-रेख की गतिविधियों का कोई आर्थिक मूल्य नहीं लगाया जाता क्योंकि वे बाजार अर्थव्यवस्था के दायरे में नहीं आतीं । लिंग आधारित श्रम विभाजन महिलाओं को मूल रूप से परिवार के लिए सामग्री जुटाने और सेवाएँ करने की जिम्मेदारी सौंप देता है । गरीब महिलाओं के लिए तो हर काम ही परिवार के निर्वाह व जिन्दा रहने के लिए होता है । अगर उपर्युक्त बातों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, तो भी श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी आँकने के मामले में काफी फर्क है ।

तालिका 1: श्रम शक्ति: लिंग एवं ग्रामीण-शहरी

भारत, 1993-94 से 1999-2000

('000 में)

जनसंख्या घटक	स्थूल श्रमिक जनसंख्या अनुपात की सामान्य प्रस्थिति (प्रति 1000)	
	1993-94	1999-2000
ग्रामीण		
पुरु-ा	553	531
महिलाएँ	328	299
कुल	444	419
शहरी		
पुरु-ा	520	518
महिलाएँ	154	139
कुल	347	337
सभी क्षेत्र		
पुरु-ा	544	527
महिलाएँ	283	254
कुल	418	395

नोटः सामान्य प्रस्थिति = मूल प्रस्थिति + गौण प्रस्थिति

स्रोतः सुंदरम, के., एम्पलायमेंट ऐंड पॉवर्टी इन 1990 : फरदर रीजल्ट फ्रॉम एनएसएस 55 राउंड एम्पलायमेंट - अनएम्पलायमेंट सर्वे, 1999-2000, इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली, 11 अगस्त, 2001, पीपी. 3039-49, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2002

अधिकांश महिला श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृनि कार्यों में कार्यरत हैं । ग्रामीण महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत कृनि में श्रमिक और खेतिहर किसान के रूप में कार्यरत हैं । शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों में से 80 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्रों, जैसे – घरेलू कार्यों, लघु व्यापार और भवन-निर्माण कार्यों आदि में रोजगार में लगी हुई हैं । मार्च, 2000 को संगठित क्षेत्र (सरकारी एवं निजी) में महिला रोजगार की संख्या 4.9228 मिलियन थी। यह संपूर्ण देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार का 17.6 प्रतिशत है । प्रमुख उद्योगों में महिला रोजगार का वितरण यह प्रदर्शित करता है कि सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाओं में महिला रोजगार अधिक है । महिला रोजगार की न्यूनतम दर विद्युत, गैस और जल क्षेत्र में देखी गई है । 1997 में फैक्ट्री और वृक्षारोपण में कार्यरत कुल श्रमिकों में क्रमशः 14 और 51 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत थीं । खदानों में कुल श्रमिकों में 5 प्रतिशत महिला श्रमिक थीं (भारत, 2003) । मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सन् 2000 में दक्षिण एशिया में भारत में कार्यरत कुल मजदूरों में से 32 प्रतिशत महिला मजदूर कार्यरत थीं ।

2001 की जनगणना के अनुसार कुल महिला जनसंख्या का 25.7 प्रतिशत भाग श्रमिक (मुख्य और सीमांत) हैं । साथ ही कुल श्रमिकों में 32.5 प्रतिशत खेतिहर किसान (Cultivator) और 39.4 प्रतिशत कृनि श्रमिक हैं और 6.4 प्रतिशत घरेलू उद्योगों में काम करते हैं तथा 21.7 प्रतिशत अन्य श्रेणी के श्रमिक हैं ।

डॉ. अशोक मिश्रा के मुताबिक जनगणनाओं में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 30 से 40 फीसदी तक कम करके बताया जाता है । महिला श्रमिकों के काम का आकलन और विश्लेनण अल्पश्योक्तियों तथा घर बाहर के अवैतिनक काम का हिसाब लगाए बगैर किया जाता है । इसके अलावा उन समर्थन सेवाओं का भी अभाव है, जिससे उनकी मेहनत को कुछ कम किया जा सके, विशेना रूप से पीने के पानी, ईंधन, चारा और बच्चों की देख-रेख जैसी सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है । महिला श्रमिकों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है।

11.2.2 महिला श्रमिकों द्वारा किए गए काम की प्रकृति

"महिला और कार्य" पर ई.एस.ओ.-02 में हमने विस्तृत ढंग से महिला की भागीदारी तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की चर्चा की थी । यह बताया गया था कि महिला श्रम अदृश्य बना दिया गया है । जनगणना में भी पूर्वाग्रह काम करते हैं और महिला श्रमिकों के काम का यूँ ही रूढ़ीवादी ढंग से आकलन किया जाता है । यहाँ हम महिला द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति पर चर्चा करेंगे ।

एन.एस.एस.ओ. ने उन घरेलू कार्यों की पहचान की है जिसे महिलाएं लगातार करती रहती हैं– घर के बगीचे की देखभाल, घरेलू मुर्गीखाने और गउशाला की देखरेख, मछली मारना, जलावन की लकड़ी इकट्ठी करना, जानवरों को खिलाना, चारा काटना, गुड़ बनाना, अनाज कूटना, गोबर थापना, सिलाई करना, बच्चों को पढ़ाना घर से बार जाकर पानी लाना, गांव से बाहर जाकर पानी लाना।

मगर घरों में महिलाओं द्वारा किए गए श्रम को काम ही नहीं माना जाता क्योंकि इनकी मजदूरी नहीं दी जाती है । परिवार से बाहर के लोग जान भी नहीं पाते हैं ।

11.2.3 महिला श्रमिकों की श्रेणियाँ

अपने काम के दर्जे के आधार पर महिला श्रमिकों का निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है :

- **स्व-रोजगार,** घर में तथा बाहर
- **वैतनिक श्रमिक**, घर के बाहर, मसलन खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, कारखाना मजदूर ठेका मजदूर इत्यादि तथा घर के भीतर कामों में नियुक्त ।
- अ**वैतिनक पारिवारिक श्रम**, अपने ही खेतों में या पारिवारिक पेशों में जैसे – जुलाहे, कुम्हार, दस्तकार आदि ।

स्व-रोजगार

हमारे देश में रोजगार का यह सबसे बड़ा हिस्सा है । एन एस एस ओ के मुताबिक 1987 में कुल श्रम शक्ति का 57.3 फीसदी इसी हिस्से में नियुक्त था । काम का चयन पारिवारिक स्थिति, उत्पादन के साधनों, कुशलताओं टेक्नालॉजी तथा कार्य संगठन पर महिलाओं के नियंत्रण के ऊपर निर्भर करता है ।

स्व-रोजगार महिलाओं का एक खासा बड़ा हिस्सा (57 प्रतिशत) घर के बाहर अनियमित आय पर कार्यरत है । फुटपाथों पर से कार्यरत सब्जी बेचने वाली या अन्य रेड़ी पटरी वाली शामिल हैं ।

रोजगार में महिला श्रम की भागीदारी यह दर्शाती है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्व-रोजगार की श्रेणी में भारी गिरावट की प्रवृत्ति तथा महिला मजदूरों के अनियत मजदूर के रूप में काम करने की प्रवृत्ति में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है । 1972-73 में 31.4 फीसदी महिलाएँ अनियत मजदूर के रूप में काम करती थीं जो 1997 में यह संख्या बढ़कर 40.9 फीसदी तक पहुँच गई । ग्रामीण क्षेत्रों में 1999-2000 में इसमें थोड़ी सी कमी आई और यह 39.6 फीसदी हो गई । शहरी क्षेत्रों में इस प्रवृत्ति में प्रतिकूल परिवर्तन आया है और नियमित रोजगार में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है तथा अनियमित महिला मजदूरी में कमी आई है । एन.एस.एस.ओ. के भारत में रोजगार एवं बेरोजगार के 1999-2000 के आँकड़ों के अनुसार, श्रम बाजार में महिलाएँ, पुरु-ाों के बाद प्रवेश करती हैं । 15-29 आयु समूह में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरु-ा काम करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में 40- 44 आयु वर्ग में काम में महिलाओं की भागीदारी 58.6 फीसदी और 30 - 54 आयु वर्ग में 50 फीसदी है । शहरी क्षेत्रों में 40 - 44 आयु वर्ग में काम में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम 28.3 फीसदी है । 15 से 29 व-र्ा की आयु समूह में कम उम्र में विवाह और अनेक बच्चों को जन्म देने के कारण काम में महिलाओं की भागीदारी कम होती है । अधिकतर विकसित और विकासशील देशों में 15 से 25 व-र्ा की आयु की महिलाओं की काम में भागीदारी अधिकतम पाई गई है ।

इमारत निर्माण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या जबसे ज़्यादा है। 1971—1981 के दौरान महिला मजदूरों का अनुपात 9.1 से बढ़कर 9.91 हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई क्योंकि सरकार ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत रोजगार मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई सार्वजनिक कार्यक्रम चलाए।

ckDl 1

वैतनिक असमानताएँ

महिला श्रमिकों की औसत आय, नियमित वेतन भोगी मजदूरों की औसत आय से बहुत कम है । पुरु-ाों तथा महिलाओं के बीच वैतनिक असमानताएँ (रु. 10.27 तथा रु. 4.49 क्रमशः) ग्रामीण इलाकों में, शहरों के मुकाबले ज्यादा हैं । महिला श्रमिक ज्यादातर दिहाड़ी श्रमिकों के तौर पर नियुक्त की जाती हैं । जहाँ उन्हें ठेकेदारों और बिचौलियों के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता है । उद्योगों तथा ठेकेदारों को वे सस्ता श्रम देती हैं ।

अनियत श्रमिकों की औसत दैनिक आय (रुपयों में)

	ग्रामीण		शहरी	
	पुरु-ा	महिला	पुरु-ा	महिला
0-5-14	5.68	3.57	5.19	3.50
15-59	10.53	5.11	5.11	5.30
60 +	9.35	3.77	9.94	4.65
सभी आय वर्ग	10.27	4.89	11.09	5.29

स्रोतः एन एस एस ओ, 1987(स्व-नियुक्त महिलाओं पर रा-ट्रीय आयोग, 1988 से उद्धृत)

	ग्रामीण		शहरी	
	पुरु-ा	महिला	पुरु-ा	महिला
साधारण प्रस्थिति	2.12	1.41	5.86	6.90
साप्ताहिक प्रस्थिति	3.72	4.26	8.69	7.46
दैनिक प्रस्थिति	7.52	8.98	9.23	10.99

स्रोतः एन एस एस ओ, 1987

नोट करें कि अनियत महिला श्रमिकों के बीच बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी का फैलाव पुरु-ों से कहीं ज्यादा है ।

कामगार महिलाओं का एक अहम हिस्सा गृह आधारित कार्य करने वाले श्रमिकों का है । वे बीड़ी बनाने, खाद्य संसाधन, कुम्हारी, कपड़ा बनाने, अगरबत्ती बनाने, कताई करने, खिलौने बनाने, मत्स्य संसाधन, बांस तथा बेंत के सामान बनाने, लेस बनाने, जरी का काम, आदि कामों में नियुक्त की जाती हैं । इन गृह आधारित कार्यों में नियुक्त महिला श्रमिकों की संख्या के बारे में सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये कार्य घर के अंदर, बगैर बाहरी लोगों की दृ-टि में आए किया जाता है ।

गृह आधारित मजदूर दो श्रेणियों में आते हैं : स्व नियुक्त तथा दिहाड़ी कामों में नियुक्त ।

महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिहाड़ी काम करता है । दिहाड़ी आधार पर महिलाओं को काम देने में मालिकों को बेहद लाभ होता है क्योंकि उन्हें औजारों तथा मशीनों में या अन्य सुविधाओं के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगाना पड़ता है । साथ ही इनके वेतन या सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य तथा प्रसवकालीन सुविधाओं) संबंधी अधिकारों को लागू करवाने के लिए न तो कोई कानून है न ही ट्रेड यूनियनों का ही सामना करना पड़ता है । इस तरह के कामों में बड़ी तादाद में बाल श्रमिकों का भी इस्तेमाल होता है । औद्योगिक इकाइयों, खास कर लघु उद्योगों का इन्हें सीधे नियुक्त न करने में अतिरिक्त आर्थिक लाभ होता है । अगली इकाई में आप बाल श्रमिकों के बारे में और पढ़ेंगे।

iii) **अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक**

पारिवारिक कृ-ि गृह उद्योगों और लघु उद्योगों तथा पारिवारिक निर्वाह की गतिविधियों में महिलाएँ अवैतनिक श्रम जुटाती हैं । विवाहित महिलाओं द्वारा घर में और बाहर औसत अवैतनिक काम छः से अधिक घंटों में होता है । गरीब परिवारों में महिलाओं का कार्यभार बढ़ जाता है ।

11.2.4 महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक

पिछले दशकों में महिलाओं की भागीदारी दर आम तौर पर घटती रही है । इसके जिम्मेदार कई कारक हैं :

क) महिला विकास के लिए किसी किस्म के भी चौतरफा, तर्कसंगत नीति का अभाव जिसके तहत उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण तथा जमीन, कर्ज, टेक्नोलॉजी आदि तक उनकी पहुँच बेहतर करके उन्हें रोजगार के काबिल बनाया जा सके ।

ख) मर्द ही परिवार की आय जुटाता है – ऐसी मानसिकता के कारण अक्सर यह बात दब जाती है कि कम आय वाले परिवारों में महिलाओं की कमाई कितनी महत्वपूर्ण होती है । इस मानसिकता का प्रतिकूल असर उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश के मामलों में भी पड़ता है । मालिक भी उन्हें केवल पूरक उपार्जकों के रूप में ही देखते हैं ।

ग) अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, जैसे कुम्हारी, लोहारी, बुनकरी तथा दस्तकारी जैसे ग्रामीण उद्योगों की आधुनिक उद्योगों से प्रतियोगिता के कारण, तीव्र गिरावट ने महिलाओं की कृनि पर निर्भरता और बढ़ा दी है । जिसका श्रम शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

घ) जमीन, मकान आदि संपत्ति उनके अपने नामों में न होना । इससे उन्हें स्व-रोजगार के लिए कर्ज आदि नहीं मिल पाते जिससे उनके ऊपर उठ पाने की गुंजाइशें बहुत कम हो जाती हैं ।

च) महिलाओं के ऊपर सामान्य निर्बाहक कामों का बोझ (जैसे – ईंधन, चारा या पानी जुटाना) तथा बच्चों को पैदा करने से पालने पोसने की जिम्मेदारी जो श्रम शक्ति में भागीदारी के अलावा उन्हें करनी पड़ती है, उनके समय और कार्य शक्ति पर इतना बोझ डालती है कि उसके बाद शिक्षा, प्रशिक्षण या अपने विकास के लिए उनके पास समय ही नहीं बच पाता है । श्रमिकों की तरह काम करने के अलावा वे 6-8 घंटे प्रतिदिन ईंधन, चारा, पानी जुटाने या बच्चों की देखरेख और घरेलू काम काज निबटाने के लिए मेहनत करती हैं । महिलाओं के इस काम के बोझ को हल्का करने की दिशा में बहुत कम प्रयास हुए हैं ।

छ) उत्पादन व्यवस्था में टेक्नोलॉजी के परिवर्तन तथा महिला व पुरुनों के बीच श्रम विभाजन हमेशा ही महिला श्रमिकों के खिलाफ काम करती हैं । वे ही सबसे पहले नौकरियों से निकाली जाती हैं और सबसे अंत में काम पर रखी जाती हैं । ज्यादा निरक्षरता और कुशलताओं के निम्न विकास का नतीजा यह होता है कि वह कम वेतन पाती हैं, असुरक्षित रहती हैं और अनियत रोजगार में लग पाती हैं ।

बोध प्रश्न 1

1) महिला श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियाँ क्या हैं? पाँच पंक्तियों में जवाब दीजिए ।

....

....

....

....

....

2) सही जवाब पर टिक (√) का निशान लगाइए ।

क) भारत में ज्यादातर महिला श्रमिक स्व-नियुक्त हैं ।

सही ☐ गलत ☐

ख) गैर कृनि क्षेत्र में ज्यादा महिलाएँ नियुक्त हैं ।

सही ☐ गलत ☐

ग) बेरोजगार के हर क्षेत्र में पुरुनों तथा महिलाओं को बराबर वेतन मिलता है ।

सही ☐ गलत ☐

11.3 रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिक

महिला श्रमिकों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है जिसमें कृ-ि (87 प्रतिशत) व पशुधन, जंगलात, माहीगिरी, बगीचे और बागान (1.8 प्रतिशत) शामिल हैं। कृ-ि अब भी महिलाओं के काम का मुख्य क्षेत्र है ।

कृ-ि गतिविधियों में कार्यरत महिलाएँ खेत में तथा घर में जानवरों की देखरेख में औसतन 12 घंटे काम करती हैं । कृ-ि में पुरु-ों तथा नारियों के बीच काम में श्रम विभाजन है । हालांकि यह बहुत सख्ती से लागू नहीं होते और कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताएँ भी विराजमान हैं, मगर कुछ समानताएँ भी हैं । महिलाएँ खेतों में हल नहीं चलातीं क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं समझा जाता । आमतौर पर वे बुआई, निराई, रोपनी तथा रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव आदि का काम करती हैं । कृ-ि में मूलतः अनियत श्रमिकों के रूप में काम करती हैं । खेतिहर मजदूरों के रूप में वे कुल खेतिहर मजदूरों का 60 प्रतिशत हैं ।

अन्य ऐसी गतिविधियाँ जहाँ महिला श्रमिकों की संख्या पुरु-ों से ज्यादा है, वह हैं – काजू संसाधन, कपास और ऊन की कताई व बुनाई, बीड़ी उत्पादन, तम्बाकू संसाधन, फल सब्जियों को डिब्बाबंद करने और संरक्षण।

vH;kl 1

अपने इलाके में 20 या 25 मजदूर ढूंढिए और उन्हें काम के आधार पर आर्थिक गतिविधियों की श्रेणियों में वर्गीकृत कीजिए । लैंगिक असमानता का भी विश्ले-ाण कीजिए । संभव हो तो अपने अध्ययन केंद्र में अपने सहपाठियों से अपनी छानबीन के नतीजे मिलाकर देखिए।

अब आइए, रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी के आधार पर महिलाओं के काम की प्रकृति तथा विस्तार पर नजर डालें । पहले देखते हैं असंगठित क्षेत्र की स्थिति ।

11.3.1 असंगठित क्षेत्र

ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की काम में भागीदारी का स्वरूप और विस्तार शहरी इलाके में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दृ-िटयों से बिल्कुल अलग है । लिहाजा बेहतर समझ हासिल करने के लिए हमें दोनों को अलग-अलग देखना चाहिए ।

i) ग्रामीण असंगठित क्षेत्र

87 प्रतिशत से कुछ ऊपर महिलाएँ ग्रामीण तथा शहरी असंगठित क्षेत्रों में नियुक्त हैं । इस क्षेत्र के रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, वेतन कम है, काम के घंटे ज्यादा हैं और काम की शर्तें अस्वास्थ्यकर हैं । मजदूरों की यूनियनें बहुत कम हैं जो मालिकों पर दबाव डाल सकें, कि वे काम की स्थितियों को बेहतर और मानवीय बनाएँ । इन मजदूरों के लिए अपर्याप्त कानून हैं व जो थोड़े बहुत हैं भी उनका अप्रभावशाली कार्यान्वयन, स्थिति को और बदतर बना देते हैं ।

इस क्षेत्र में महिला श्रमिक ज्यादातर निरक्षर हैं । वे बिल्कुल गरीब तबकों से आती हैं और उनके पास कुशलताएँ बढ़ाने या शिक्षा-स्तर उठाने की सुविधाएँ नहीं होतीं । ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं द्वारा संपादित होता है ।

रोजगार तथा उत्पादकता बढाने के सरकारी कार्यक्रम ज्यादातर पुरु-ों पर ही केंद्रित होते हैं। महिलाओं को तो सिर्फ लाभभोगियों के रूप में देखा जाता है न कि सक्रिय भागीदारों

के रूप में । पुरु-ा प्रधान नौकरशाही भी महिलाओं की जरूरतों व समस्याओं के बारे में संवेदनशील नहीं है । जमीन की मिल्कीयत और श्रम विभाजन अक्सर इन महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं ।

ii) **शहरी असंगठित क्षेत्र**

महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेवाओं में नियुक्त है । स्व-नियुक्त महिलाओं का 40 फीसदी सेवा क्षेत्र में है और 30 फीसदी छोटे व्यापार में । आठ फीसदी निर्माण कार्यों में काम करती हैं । स्व-नियुक्त महिलाओं का बहुसंख्यक हिस्सा छोटे उद्योग धंधों – पान-बीड़ी, फल-सब्जी, बेंत और बांस की वस्तुएँ या ईंधन की लकड़ी आदि बेचने का काम करती है । स्व-नियुक्त महिलाओं का अच्छा खासा हिस्सा (57 प्रतिशत) अनियमित वेतनों पर घरों के बाहर काम करती हैं और अक्सर पटरियों पर व्यवसाय करती हैं । घरेलू नौकरियों में भी महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या, अंशकालिक या पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं ।

उत्पादन में, पारंपरिक उद्योगों, जैसे – खाद्य, तम्बाकू, कपड़ा आदि में महिला श्रमिकों के फीसदी हिस्से में कोई बदलाव नहीं आया, मगर कुछ उद्योगों में जैसे काजू व काफी संसाधन आदि में मशीनीकरण के फलस्वरूप आए परिवर्तन से उनकी भागीदारी में कॉफी गिरावट आई है । उन्हें रोजगार वहीं ज्यादा मिलता है, जहाँ मालिक काम बाहर से दिहाड़ी पर करवाते हैं, जैसे – कपड़े, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, रबड़ व तम्बाकू संसाधन आदि।

11.3.2 संगठित क्षेत्र

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठित क्षेत्र कुल महिला श्रम शक्ति के लगभग 10 फीसदी को रोजगार देता है । सार्वजनिक क्षेत्र तथा कोयला, लोहा, धातु खनन आदि में पिछले दो दशकों में महिलाओं का रोजगार या तो पहले जैसी स्थिति में ही रहा है या उसमें गिरावट आई है । कोयला खनन में महिलाओं की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है, खासतौर पर उद्योग के रा-ट्रीकरण के बाद । सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला खानों ने महिलाओं को काम से स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया है और परिवार से एक पुरु-ा सदस्य को मनोनीत कर लिया है ।

सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में निजी श्रमिकों की प्रस्थिति ठेका व अनियत श्रमिकों जैसी होती है ताकि श्रम कानूनों के प्रावधानों यथा शिशु-कल्याण केंद्र, न्यूनतम वेतन तथा प्रसवकालिक सुविधा देने से बचा जा सके ।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला की मुख्य विशे-ाताओं का सारांश हम इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं :

i) पुरु-ों के मुकाबले महिलाओं की कुल निम्न भागीदारी दर । 1981 की जनगणना के मुताबिक सिर्फ 16 प्रतिशत महिलाएँ ही श्रमिकों के रूप में दर्ज की गई हैं ।

ii) महिला कार्य भागीदारी दर में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ ।

iii) कृ-ि क्षेत्र में तथा गृह उद्योगों में तमाम राज्यों में महिला श्रमिकों की भारी संख्या।

iv) महिलाओं की बहुसंख्या यानी 87 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जहाँ उन्हें कम वेतन यूनियन की सुरक्षा का अभाव, काम की बदतर स्थितियों और अनियमित स्थिति में काम करना पड़ता है ।

v) महिलाएँ ज्यादातर निम्न उत्पादकता व निम्न वेतन कार्यों में नियुक्त हैं । यहाँ वैतनिक असमानताएँ व्याप्त हैं । ग्रामीण इलाकों में 89 प्रतिशत और शहरों में 69.48 प्रतिशत अकुशल श्रमिक हैं ।

सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों से बहुसंख्यक महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश को उसके लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में समझना होगा ।

ई.एस.ओ.-02, खंड 4 की महिला की प्रस्थिति और महिला और कार्य इकाइयों में आपने देखा कि घर के भीतर महिलाओं का काम अवैतनिक होता है तथा उसे कम करके आँका जाता है, साथ ही भूमिकाओं की पारंपरिक अपेक्षाओं लड़कों और लड़कियों का असमान समाजीकरण व भूमिकाओं की रूढ़िवादिता एक प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर देता है । इसका महिलाओं की भूमिकाओं, शैक्षिक अवसरों, उनके योगदान के संबंध में समाज की धारणा और उनकी खुद की अपने श्रम के मूल्य के संबंध में धारणाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है । वर्ग, जाति, समुदाय आदि के आधार पर बने गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक ढाँचे का भी महिला श्रम की भागीदारी पर काफी असर पड़ता है ।

बोध प्रश्न 2

1) वह कौन-सी गतिविधियाँ हैं, जहाँ महिलाओं की संख्या पुरु-ों से ज्यादा है? तीन पंक्तियों में जवाब दीजिए ।

.....

.....

.....

.....

.....

2) अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार की विशे-ताएँ क्या हैं? चार पंक्तियों में जवाब दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) देहातों में अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के चंद महत्वपूर्ण पेशों का जिक्र करें । लगभग चार पंक्तियों में जवाब दीजिए ।

.....

.....

.....

.....

11.4 महिला श्रमिकों के लिए Je कानून

महिलाओं का काम अदृश्य रह जाता है और विकास की प्रक्रिया में महिला मजदूरों को परे धकेल दिया जाता है। वे असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं (इसकी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं) इसलिए महिलाओं को उनकी सुरक्षा करने और उनके कामकाज की स्थिति को नियमित करने के लिए बने कानून का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा।

महिलाओं की स्वास्थ्य और प्रसवकालीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनका शोषण रोकने के लिए और उनकी मजदूरी नियमित करने के लिए बनाए गए हैं।

चूँकि अधिकाँश महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में हैं, अतः हम उन कानूनों की चर्चा करेंगे, जो सीधे उनसे संबंधित हैं ।

11.4.1 समान वेतन अधिनियम

इस अधिनियम के अनुसार पुरु-ा तथा महिला श्रमिकों के बीच वेतन में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जब वे एक ही प्रकार के काम में नियुक्त हों । दूसरे शब्दों में, काम का स्वरूप अगर एक जैसा ही है तो पुरु-ों तथा महिलाओं को बराबर वेतन दिया जाएगा ।

हालांकि यह अधिनियम संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों के मजदूरों पर लागू होता है, असंगठित क्षेत्र में लगातार उपेक्षा की गई है । कृ-ि, निर्माण, गृह उद्योग आदि में महिला श्रमिकों को बराबर ही पुरु-ों से कम वेतन मिलता रहा है । संगठित क्षेत्र में, खासकर बागानों/बगीचों में जहाँ महिलाओं की तादाद लगभग आधी है, तथा खानों/खदानों में और कारखानों में यह प्रभावशाली हुआ है । इन उद्योगों में वैतनिक असमानताएँ खत्म कर दी गई हैं ।

11.4.2 न्यूनतम वेतन अधिनियम

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह कानून वह प्रक्रियाएँ व मशीनरी प्रदान करता है जिससे वेतनों की न्यूनतम दरें तय की जा सकें जो मजदूरों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को प्रतिफलित करती हों ।

न्यूनतम वेतन अधिसूचित करते समय महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का वर्गीकरण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले हल्के काम और पुरु-ों द्वारा किए जाने वाले भारी कामों में फर्क करके किया जाता है । यह महिलाओं के लिए निम्न वेतन तय करने का एक तरीका है ।

इसके अलावा संगठित क्षेत्र में महिलाओं को प्रसवकालीन सुविधाएँ भी हासिल हैं । मालिकों से यह भी उम्मीद की जाती है कि जहाँ 30 से ज्यादा महिलाएँ नियुक्त हैं, वहाँ क्रेच की सुविधाएँ भी हासिल कराई जाएंगी ।

11.4.3 प्रसवकालीन सुविधा अधिनियम

इस अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों को प्रसवकाल के समय पूरे वेतन सहित 12 हफ्तों की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है । ऐसी अवस्था में महिलाओं का हक है कि बच्चे के जन्म से चार हफ्ते पहले और आठ हफ्ते बाद तक वे अवकाश ले सकें । गर्भपात के लिए उन्हें छः हफ्ते छुट्टी लेने का भी अधिकार है ।

साधारणतः यह तर्क दिया जाता है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में कमी इसलिए भी आ रही है क्योंकि मालिकों को इन महिला श्रमिकों के प्रसवकालिक सुविधाओं का खर्च उठाना पड़ता है । क्योंकि रोजगारों में महिलाओं की संख्या संगठित क्षेत्र में यूँ ही बहुत कम है, कुल रकम जो इस बाबत खर्च की जाती है, वह पुरु-ों को सामाजिक सुरक्षा की बाबत दी जाने वाली कुल रकम की तुलना में बहुत ही कम है ।

''राष्ट्रीय स्वरोजगार महिला आयोग'' की यह सिफारिश थी कि मातृत्व सुविधाओं व शिशुओं की देखरेख के लिए एक सम्मिति योजना बनाई जाए जिसके लिए अलग को-ा बनाकर महिलाओं को जरूरी सहायता दी जाए । कई महिला संगठनों ने भी काफी अर्से से यह माँग उठाई है कि शिशुओं की देखरेख को सरकार की "न्यूनतम जरूरतें कार्यक्रम" में शामिल किया जाना चाहिए और उसे अमल में लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ।

vH;kl 2

अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत 10-15 कामगार महिलाओं से साक्षात्कार करें और पता लगाएँ कि उपर्युक्त चर्चित तीनों में से किसी भी अधिनियम के बारे में वे अवगत हैं भी या नहीं । संभव हो तो अपने अध्ययन केंद्र के सहपाठियों से अपने नतीजे मिलाएँ ।

बोध प्रश्न 3

1) लगभग चार पंक्तियों में समान वेतन अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए ।

....

....

....

....

2) सही उत्तर पर टिक (√) का निशान लगाइए ।

मातृत्व सुविधा अधिनियम में प्रावधान है :

क) प्रसव के समय 12 हफ्ते अवैतनिक अवकाश का

ख) प्रसव के समय 12 महीने के अवैतनिक अवकाश का

ग) प्रसव के समय 12 हफ्ते पूर्ण सवेतन अवकाश का

घ) 12 दिन के पूर्ण सवेतन अवकाश का ।

11.5 महिलाओं की काम में भागीदारीः चुनौतियाँ तथा जवाबी कार्रवाइयाँ

हाल के व-र्गों में महिला श्रमिकों को संगठित करने के कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं । सरकार द्वारा भी कई कार्यक्रम शुरू करने की कोशिशें हुई हैं । आइए गरीब महिलाओं को लामबंद करने और उनका स्तर उठाने के लिए की गई कोशिशों की चर्चा करें ।

11.5.1 लामबंद तथा संगठित करने के प्रयास

महिला श्रमिकों की काम की स्थिति व वेतनों में सुधार के लिए अब ज्यादा से ज्यादा प्रयास संगठित तथा लामबंद करने के लिए किया जा रहा है ताकि वे उपर्युक्त के लिए अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ा सकें और आवाज उठा सकें । कुछ संगठन जैसे सेल्फ एम्पलायेड विमेन्स एसोसियेशन (सेवा), अहमदाबाद, वर्किंग विमेन्स फोरम (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) मद्रास, अन्नपूर्णा महिला मंडल (ए.एम.एम.), बम्बई तथा कई अन्य ऐसे संगठन जो बिल्कुल नीचे के स्तरों पर कार्यरत हैं, ने शहरी और देहाती महिलाओं को लामबंद किया है ताकि उनकी सौदेबाजी की क्षमताएँ बढ़ाई जा सकें और कर्ज तथा अन्य साधनों तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाया जा सके । सेवा, गुजरात में करीब 40,000 महिला श्रमिकों का ट्रेड यूनियन है। डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. की सदस्यता 15,000 है और इसने अब अपनी गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में विस्तृत कर ली हैं । महिलाओं ने जमीन की मिल्कीयत, न्यूनतम वेतन, जंगलात के उत्पाद पर अपनी पहुँच, जल सम्पदा, हॉकरों तथा पटरी वालों के अधिकारों आदि के लिए संघ-र्ा किए हैं । 1970 और 1980 के दशकों में महिला आंदोलन के पुनरुत्थान से उनके अधिकारों और स्थानीय तथा वृहत्तर संघ-र्ाों में उनकी भागीदारी के बारे में चेतना बढ़ी है ।

आवास, पानी व सफाई इन गरीब महिला श्रमिकों की अन्य समस्याएँ हैं जिन पर वे आंदोलित हैं । महिला श्रमिकों के लैंगिक शो-ाण के खिलाफ तथा कानूनों और नीतियों में परिवर्तन के लिए भी वे संगठित हुई हैं । श्रम शक्ति ने अपनी रपट में नोट किया है कि आज हम गरीब महिलाओं के संगठित आंदोलनों में लगातार इजाफा देख रहे हैं जिसके जरिए वे मुद्दों पर संगठित हो रही हैं, अपने अधिकार जता रही हैं, अपनी जरूरतों को आवाज दे रही हैं और खुद को राजनीतिक चेतना की अगली कतारों में ला रही हैं । यह इसलिए संभव हो सका है क्योंकि अतीत में इन्हें संगठित करने के ऐसे कई आंदोलन और प्रयास इनके द्वारा हुए । मगर ऐसे उदाहरण वास्तव में काफी दुर्लभ हैं । कुछ ट्रेड यूनियनों तथा राजनीतिक दलों ने अपने संगठनों के भीतर महिलाओं की शाखाएँ बनाई हैं ।

गरीब महिलाओं की खुद को संगठित करने की कोशिशों को देहाती व शहरी इलाकों में निहित स्वार्थों द्वारा खुले विरोध का सामना करना पड़ता है । स्व-नियुक्त महिलाओं संबंधी रा-ट्रीय कमीशन ने एक ऐसी रणनीति का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत महिला संगठनों को बढ़ावा दिया जाए और सरकार इस बात को निश्चित करने के लिए सक्रिय व सकारात्मक भूमिका अपनाएं कि तमाम सरकारी कार्यक्रम, स्कीमें व कार्यक्रम जो गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन्हें संगठित करना भी एक अहम हिस्सा हो जो उसका जनाधार बना सकेगा ।

11.5.2 संस्थागत प्रयास तथा गरीबी-निरोधक कार्यक्रम

चौथी पंचव-ीय योजना में सरकार द्वारा गरीबी निरोधक कार्यक्रम बनाए गए थे । मगर इसके भी कई साल बाद छठी पंचव-ीय योजना के दौरान ही गरीब महिलाओं के रोजगार तथा आय पैदा करने के लिए अलग रणनीति पर विचार किया गया । कमिटि ऑन द स्टैटस ऑफ विमेन इन इंडिया (सी.एस.डब्ल्यू.आई. 1974) की रपट ने इस बात पर जोर दिया है कि गरीब कोई समान तबका नहीं है । उसके बाद से कई शोधित अध्ययनों ने इस बात पर बल दिया है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते गरीबी का बोझ महिलाओं को असमान रूप से ढ़ोना पड़ता है । इसलिए जरूरत है बच्चों के निम्नतम निर्वाह की जरूरतों को पूरा करने की । देश में मुख्य गरीबी निरोधक कार्यक्रम इस प्रकार है :

i) **स्व-रोजगार की व्यवस्था करने वाले कार्यक्रम** : जो यह कार्य उत्पादक साधनों के लिए कर्ज उपलब्ध करा कर करते हैं । इंटिग्रेटेड रूरल डेवलेपमेंट प्रोग्राम (आई.आर.डी.पी.) के तहत 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य तय किया गया है । 1982-83 में ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जो ड्वकूरा (डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज) नाम से जाना जाता है।

ii) **वैतनिक रोजगार के लिए कार्यक्रम** : जैसे रा-ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी एन.आर.डी.पी., ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी आर.एल.ई.जी.पी. । इन कार्यक्रमों के जरिए पैदा किया गया रोजगार मुख्यतः सार्वजनिक विकास कार्यक्रम के रूप में होता है जैसे – सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य ।

iii) **विशे-ा कार्यक्रम** : जो आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों व सूखा प्रवृत्त इलाकों के लिए बनाए गए हैं ।

iv) **प्रशिक्षण कार्यक्रम** : जो कार्यक्रम स्व-रोजगार पैदा करने के लिए नई कुशलताएँ प्रदान करने या पुरानी को उन्नत करने के लिए जरूरी होते हैं (ट्रेनिंग आफ यूथ फॉर एम्प्लायमेंट जैसे कार्यक्रम) ।

v) **गरीबों को अतिरिक्त भूमि का आबंटन** : इन स्कीमों तथा कार्यक्रमों में ज्यादातर परिवार के पुरु-ा मुखियाओं के नाम ही जमीन दी गई है ।

इन गरीब निरोधक कार्यक्रमों की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक यह थी कि गरीब महिलाएं, जो वैसे ही निरक्षरता तथा सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की जकड़ में कैद होती हैं (खास कर अनुसूचित जातियों/जनजातियों से होने के कारण), ऊपर से इन एजेंसियों की कल्पनाशील ढंग से इन कार्यक्रमों की योजनाएँ बनाने तथा अमल में लाने में नाकामी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि इनसे उनका कोई लाभ न हो । जमीन तथा उत्पादक साधनों की मिल्कीयत में पुरु-ों की प्रधानता के कारण भी महिलाओं को कर्जों की स्कीमों से फायदा उठाने तथा बैंक गारंटी देने में विफलता का ही मुंह देखना पड़ता है ।

महिलाओं के लिए लाभकारी गतिविधियों को पहचानने और पर्याप्त योजनाएँ बनाने में तथा उनके लिए टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा उत्पादन के विपणन आदि के लिए समर्थन कार्यक्रम चलाने में भी कई दिक्कतें आईं ।

अतिरिक्त भूमि, जो वास्तव में भूमिहीनों में बाँटी जा चुकी है, भी सरकारी अनुमानों के मुताबिक जो जमीन हासिल की जा चुकी है, के अनुपात में भी बहुत कम है । ज्यादातर जमीन खेती लायक नहीं है या बंजर है, उर्वरकों सिंचाई तथा अच्छी माटी प्रबंधन व्यवस्था आदि की माँग करती है । यह जमीन परिवार के पुरु-ा मुखियाओं को दी गई और इस बात की बिल्कुल अनदेखी ही कर दी गई कि कई परिवारों में महिलाएँ ही मुखियाएँ हैं और सीमांतीय या भूमिहीन परिवारों में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं । अनुमान है कि 30-35 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं, जहाँ महिलाओं को ही संचालन करना पड़ता है और अक्सर वे ही मुखिया होती हैं, खासतौर पर जहाँ पुरु-ा शहरों में प्रव्रजन कर चुके हैं ।

बोध प्रश्न 4

सही उत्तर पर टिक (√) का निशान लगाइए ।

1) निम्नलिखित में कौन-सा संगठन है जो कामगार महिलाओं को लामबंद करने में नहीं जुटा है ।
   क) सेल्फ एम्प्लायेड विमेन्स एसोसिएशन
   ख) वर्किंग विमेन्स फोर
   ग) अन्नपूर्णा महिला संगठन
   घ) उपर्युक्त में कोई नहीं ।

2) कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन का मानना है कि :
   क) गरीब महिलाएँ एक समान तबका है
   ख) गरीब महिलाएँ एक समान तबका नहीं है
   ग) गरीबी का बोझ महिलाओं की बजाए आदमियों को ही ज्यादा उठाना होता है।
   घ) उपर्युक्त में कोई नहीं ।

3) निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है, जो महिलाओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीबी निरोधक कार्यक्रमों पर पर्याप्त पहुँच नहीं बनने देता :
   क) निरक्षरता
   ख) मुख्यतः जमीन की पुरु-ा प्रधान मिल्कीयत
   ग) कल्पनाशील ढंग से योजनाओं को बनाने में एजेंसियों की असमर्थता
   घ) उपर्युक्त में कोई नहीं ।

11.6 सारांश

इस इकाई में देश की कामगार महिलाओं की मुख्य समस्याओं से आपको अवगत कराया गया है । भारत में महिला श्रम शक्ति तथा उसकी भागीदारी के स्वरूप और विस्तार की चर्चा करके हमने इकाई की शुरुआत की थी । हमने तमाम श्रेणियों की चर्चा की जिनमें महिला श्रमिक बँटी हैं और साथ ही उनकी काम में भागीदारी पर असर डालने वाले तमाम सामाजिक-आर्थिक कारकों तथा महिला श्रमिकों के काम की प्रकृति पर भी गौर किया गया । संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों की समस्याओं पर इसमें विचार किया गया है । कई किस्म के श्रम कानून हैं जैसे – समान वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, मातृत्व सुविधा अधिनियम । हमने इनकी चर्चा देश में समसामयिक महिला श्रम भागीदारी के संदर्भ में की है और अंत में हमने गरीब महिलाओं को संगठित करने के प्रयासों तथा मोटे तौर पर उठाए गए कल्याणकारी कदमों की भी चर्चा की है । उनके काम की स्थितियां सुधारने और काम में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया है ।

11.7 शब्दावली

गृह आधारित उद्योग: मुख्यतः पारिवारिक श्रम आधारित उत्पादित वस्तु ।

स्व-नियुक्त: वे सभी जो स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत हैं । वे काश्तकार, दस्तकार, हॉकर या रेड़ी पटरी वाले भी हो सकते हैं । छोटे दुकानदार या व्यापारी भी इस श्रेणी में आते हैं ।

मजदूरी करने वाले : जो अपने काम के बदले मालिक से मजदूरी पाता है, को इस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे - कृ-ि श्रमिक इत्यादि ।

11.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

सिंह एन्ड्रिया एम तथा अनीता के. विटानेन (संपादक) 1987, *इनविजबिल हैंड्स, विमेन इन होम बेस्ड प्रोडक्शन,* सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।

जोस ए वी (सम्पादक), 1989, *लिमिटेड ऑप्शन्स : विमेन वरकर्स इन रूरल इंडिया* ।

एशियन रीजनल टीम फॉर एम्प्लायमेंट प्रमोशन, आई.एल.ओ., नई दिल्ली ।

11.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) महिला श्रमिकों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है :
   - क) स्व-रोजगार महिलाएः घर के भीतर तथा बाहर।
   - ख) घर से बाहर मजदूरी करने वाले
   - ग) अवैतनिक पारिवारिक श्रम अपने खुद के खेतों पर या पारिवारिक पेशों में, जैसे – बुनाई, कुम्हारी तथा दस्तकारी ।

2) क) गलत
   - ख) सही
   - ग) गलत

बोध प्रश्न 2

i) भारत सरकार की एक रपट के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों में महिलाओं की तादाद पुरु-ाों से ज्यादा है – डेयरी, छोटे पशुपालन तथा हथकरघा ।

ii) अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की मुख्य विशे-ाताएँ – कम मजदूरी, रोजगार की सुरक्षा का अभाव तथा काम के लंबे घंटे तथा अस्वास्थ्यकर काम की स्थितियाँ हैं ।

iii) कृ-ाि, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, पशुपालन, खादी तथा ग्रामीण उद्योग, दस्तकारी, रेशम उत्पादन तथा हथकरघा आदि ।

बोध प्रश्न 3

i) इस अधिनियम के अनुसार पुरु-ा तथा महिला श्रमिकों के बीच कोई वैतनिक भेदभाव नहीं होना चाहिए जब उनके काम का स्वरूप एक जैसा है ।

ii) ग)

बोध प्रश्न 4

i) घ

ii) ख

iii) घ